



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272897
CG-DL-E-27052026-272897

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2575]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2575]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

का.आ. 2668(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाइयों ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है, और ऐसा किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्ट कर्ता इकाइयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात्:—

बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन(बीएसआईएफ)

[फा. सं. पी-12011/4/2019-ईएस सेल-डीओआर]

प्रशांत सागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2026

S.O. 2668(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entity mentioned below shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)(hereinafter referred to as the Aadhaar Act) and it is necessary and expedient to do so and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, hereby permits the said reporting entity to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

Bima Sugam India Federation (BSIF)

[F. No. P-12011/4/2019-ES Cell-DOR]

PRASHANT SAGAR, Under Secy.